भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1157

27.07.2026 को उत्तर के लिए

मेकेदातु बांध को पर्यावरणीय स्वीकृति

1157. कु. सुधा आर. :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कर्नाटक में प्रस्तावित मेकेदातु बाँध के लिए कोई पर्यावरणीय मंजूरी लंबित है या अस्वीकार कर दी गई है;

(ख) क्या सरकार ने कर्नाटक में मेकेदातु बाँध के निर्माण को आगे बढ़ाने से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए रोका है कि इससे विशेषकर तमिलनाडु में मयिलादुथुरै सहित कावेरी डेल्टा जिलों में करोड़ों किसानों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(ग) क्या कर्नाटक ने कावेरी नदी पर मेकेदातु बाँध बनाने के प्रस्ताव में किसी पर्यावरणीय मंजूरी नियम का उल्लंघन किया है;

(घ) कावेरी नदी पर मेकेदातु बाँध बनाने पर कर्नाटक के आग्रह के संबंध में केंद्र सरकार की नीतिगत स्थिति का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों के बीच मेकेदातु बाँध विवाद को सुलझाने के लिए किसी नए न्यायाधिकरण का गठन करने का है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ङ): कर्नाटक के रामनगर और चामराजनगर जिलों में यथासंशोधित पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006, के प्रावधानों के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी(ईसी) प्रदान करने हेतु विचारार्थ विषय प्रदान करने के लिए मेकेदातु संतुलन जलाशय एवं पेयजल परियोजना का प्रस्ताव दिनांक 20.06.2019 को मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था। इस प्रस्ताव पर पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करने के उद्देश्य से जलविद्युत एवं सिंचाई परियोजनाओं पर विचार करने के लिए मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति(ईएसी) की दिनांक 19.07.2019 को आयोजित 25वीं बैठक में विचार किया गया था।

विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अनुशंसाओं के आधार पर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने, जल शक्ति मंत्रालय के साथ परामर्श करके इस मामले की जांच करने के पश्चात यह निर्णय लिया गया था कि चूँकि इस परियोजना में अंतर्राज्यीय मामले शामिल हैं, इसलिए परियोजना के लिए विचारार्थ विषय केवल तभी जारी की जा सकते हैं जब मेकेदातु परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दिया जाए तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा संशोधित कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के आदेश को प्रभावी बनाने के लिए गठित कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाए। परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर जल शक्ति मंत्रालय तथा कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण की सहमति अभी भी प्राप्त नहीं हुई है।

केंद्रीय जल आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 16.02.2018 के आदेश के माध्यम से कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के निर्णय के संबंध में दिए गए निर्देशों के पश्चात, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग द्वारा कावेरी नदी बेसिन में जल संसाधन परियोजनाओं के तकनीकी मूल्यांकन हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, कावेरी नदी बेसिन में प्रस्तावित किसी भी नई परियोजना का तकनीकी मूल्यांकन उक्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाना अपेक्षित है।
